

किशोर न्याय विधि सुसंगत प्रावधान सहित अभिवचन व प्रारूप

विषय-सूची

1. किशोर न्याय विधि का विकास।
2. किशोर न्याय विधि के मूल-भूत सिद्धांत।
3. किशोर न्याय प्रणाली व जिला परिवीक्षा अधिकारी की भूमिका।
4. किशोर न्याय बोर्ड का गठन, क्षेत्राधिकार व शक्तियाँ।
5. किशोर न्याय बोर्ड की बैठक, कार्यवाही व प्रक्रिया।
6. प्रारंभिक जाँच- अभिकथित किशोर की आयु का निर्धारण व प्रक्रिया।
7. जिला परिवीक्षा अधिकारी की किशोर की आर्थिक, सामाजिक जाँच रिपोर्ट।
8. अभिकथित किशोर की जमानत, प्रक्रिया व प्रारूप।
9. अंतिम जाँच- अभिकथित किशोर का जाँच(विचारण)।
10. अभिकथित किशोरगण के प्रवास, भोजन, शिक्षा, रोजगार का प्रावधान।
11. किशोर को परिवीक्षा का लाभ।
12. किशोर को दिया जाने वाला दण्ड।
 - (a)- भर्त्सना।
 - (b)- सामाजिक सेवा कार्य।
 - (c)- बाल सुधार गृह।
 - (d)- अर्थ-दण्ड।
13. गंभीर अपराध में जहाँ अभिकथित बालक की उम्र 16-18 के मध्य है ऐसे मामलों की जाँच, प्रक्रिया व निर्धारण।
14. बाल न्यायालय।
15. जिला बाल कल्याण समिति का गठन, कार्य व शक्तियाँ।
16. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की निरीक्षण, पर्यवेक्षण व समीक्षा की शक्ति।
17. किशोर न्याय फण्ड।
18. जिला बाल कल्याण इकाई।
19. विशेष किशोर पुलिस इकाई।
20. किशोरगण का पुनर्वास व समाजिकरण।
21. किशोर का दत्तक लिया जाना ।
22. निगरानी।
23. अपील।
24. किशोर के अपराध व जाँच का उसके खिलाफ इस्तेमाल व प्रकाशन पर रोक।
25. किशोर न्याय (बालको की देख-रेख व संरक्षण) मॉडल नियमावली, 2016